Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- एसीबी चौकी दौसा के हरभान सिंह कानि० रीडर के विरूद्ध ब्यूरो में प्रकरण दर्ज।
- हरभान सिंह कानि० रीडर का तत्काल प्रभाव से निलम्बन।
- श्री नवल किशोर मीणा, उप अधीक्षक पुलिस को एसीबी दौसा से एसीबी मुख्यालय जयपुर अटैच।

जयपुर, दिनांक 18 नवम्बर, मंगलवार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी जयपुर नगर प्रथम जयपुर द्वारा एसीबी में **दर्ज मुकदमा नं. 261/2025** में परिवादी को मुल्जिम नहीं बनाने की ऐवज में आरोपी **हरभान सिंह कानि० रीडर** द्वारा रिश्वत की मांग करना पाये जाने पर प्रकरण दर्ज करवाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी जयपुर नगर प्रथम ईकाई को एक लिखित शिकायत इस आशय की मिली कि एसीबी में दर्ज मुकदमा नं. 261/2025 विरूद्ध चन्द्र प्रकाश पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी फुलेरा जिला जयपुर ग्रामीण व अन्य में अनुसंधान एसीबी चौकी दौसा के उप अधीक्षक पुलिस श्री नवल किशोर मीणा द्वारा किया जा रहा है। उक्त मुकदमें में परिवादी को मुल्जिम नही बनाने की ऐवज में **10 लाख** रिश्वत की मांग करना एवं पूर्व में **2 लाख रूपये** प्राप्त कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय श्री आनन्द शर्मा** के निकट सुपरविजन में दिनांक 12.11.2025 को **जयपुर नगर प्रथम ईकाई** द्वारा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो परिवादी को प्रकरण में आरोपी नही बनाने की एवज में हरभान सिंह कानि. 591 रीडर द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना पाया और पूर्व में लिए गये 2 लाख रूपये ब्यूरो कार्यवाही का अंदेशा होने के कारण परिवादी को वापस लौटाये जाने के तथ्य सामने आने पर हरभान सिंह कानि० रीडर के विरूद्ध ब्यूरो में प्रकरण दर्ज किया है। जिसमें अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।